जमानत प्रकरण क्र0 554/2022

प्रतिलिपि वास्ते : जमानत प्रकरण क्र0 554/2022
आदेश दिनांक 27.10.2022 की प्रतिलिपि।

<u>न्यायालयः जितेन्द्र कुमार सिंह, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा जिला–कोरबा (छ0ग0)</u>

आकाश विंध्यराज आ0 आधार सिंह विंध्यराज, उम्र– 24 वर्ष,
निवासी– 2 नंबर दफाई, थाना–बांकीमोंगरा,
तह0–कटघोरा, जिला–कोरबा (छ0ग0) ....**<u>आवेदक/अभियुक्त</u>**

//बनाम//

छ0ग0 राज्य
द्वारा जिला दण्डाधिकारी कोरबा
जिला–कोरबा (छ0ग0) . ...**<u>अभियोजन</u>**

थाना–बांकीमोंगरा
अपराध क्र0 : 180/2022
अंतर्गत धारा 457, 380 भा0द0सं0

<u>:: आदेश पत्रिका की प्रतिलिपि ::</u>

27.10.2022 आवेदक/अभियुक्त आकाश विंध्यराज द्वारा श्री शिवशंकर भारती अधि0।

राज्य द्वारा ए0पी0पी0 श्री विश्वजीत देवनाथ।

प्रकरण आज अभियुक्त की ओर से पेश प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द0प्र0सं0 पर तर्क हेतु नियत है।

पुलिस थाना–बांकीमोंगरा से अपराध क्र0 160/2022 अंतर्गत धारा 457, 380 भा0द0सं0 से संबंधित केस डायरी प्राप्त, जिसका अवलोकन किया गया।

इसी स्तर पर आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पर बल नहीं देना व्यक्त किया गया।

अतः आवेदक/ अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पर बल नहीं देने के कारण प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द0प्र0सं0 नस्तीबद्ध किया जाता है।

प्रकरण में प्रस्तुत केस डायरी संबंधित थाने को वापस किया जावे।

प्रकरण का परिणाम अभिलेख पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/–
जितेन्द्र कुमार सिंह
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला–कोरबा (छ0ग0)